(24)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्याः–26/2024 दायर दिनांकः– 26.02.2024

जीसीएमएस नं. 2024/62

अतरूप प्रसाद पुत्र द्वारका प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी सोनपाल का पुरा तहसील सूरौठ जिला करौली राज0

––प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सूरौठ जिला करौली राज0

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955

उपस्थित–1.श्री पी एल गोयल प्रार्थी

2.श्री पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 2/7/2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा न0 1408, 1409, 1410, 1411, 874, 905 कुल किता 6 कुल रकबा 2.70 है0 स्थित ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ है।

आराजी खसरा न0 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1399, 1490 कुल किता 11 कुल रकबा 8.14 है0 स्थित ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ है।

आराजी खसरा न0 1487, 1488, 1489 कुल किता 3 कुल रकबा 3.16 है0 स्थित ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ है।

आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 01 प्रार्थना पत्र का प्रार्थी खातदेार काश्तकार है, लेकिन उक्त आराजी की जमाबंदी में सायल का ग्राम ब्राहम्ण का पुरा गलत व अतिरिक्त दर्ज कर रखा है, जबकि सायल वास्तव में ग्राम सोनपाल का पुरा तहसील सूरौठ का निवासी है, इसलिये उक्त आराजी के खाता संख्या 02 के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में काश्तकार के नाम में प्रार्थी के नाम के आगे ब्राहम्ण का पुरा हजफ करने का निवेदन किया है।

आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र में प्रार्थी 139/2004उ हिस्से का काश्तकार है तथा आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 03 प्रार्थना पत्र में सायल 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है, मगर उक्त आराजीयात के खाता संख्या 04 व 05 की राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में काश्तकार के कॉलम में प्रार्थी व उसके पिता के नाम के पीछे ब्राहम्ण अंकित नहीं है, जबकि सायल व उसके पिता का सही नाम अतरूप प्रसाद पुत्र द्वारका प्रसाद है तथा राजस्व रिकॉर्ड की अन्य जमाबंदी अतरूप प्रसाद पुत्र द्वारका प्रसाद के नाम की है। इससे स्पष्ट है कि सायल का सही नाम अतरूप प्रसाद पुत्र द्वारका प्रसाद है तथा इसके अतिरिक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.07 17:51:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

25

प्रार्थी के अन्य समस्त सरकारी दस्तावेज जिनमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का प्रमाण पत्र तथा सायल का आधार कार्ड तथा सायल का पैनकार्ड तथा प्रार्थी की स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल भारतीय स्टेट बैंक की पासबुक में सायल का नाम अतरूप प्रसाद पुत्र द्वारका प्रसाद अंकित है इसलिये राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में उक्तानुसार संशोधन किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

खाता संख्या 02, 04 व 05 की उपरोक्त आराजीयात के संबंध में प्रार्थी के ग्राम के नाम ब्राहम्णों का पुरा लिखा होने तथा प्रार्थी के स्वयं के नाम के आगे व उसके पिता के नाम के बाद प्रसाद अंकित नही होने से प्रार्थी अपनी उपरोक्त खातों पर अपने कृषि कार्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंक से केसीसी कार्ड के तहत ऋण प्राप्त नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण प्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है, इसलिये राजस्व कर्मचारियों की उक्त गल्तियों को दुरस्त कराया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है तथा उक्त दुरस्ती हेतु प्रार्थी ने अप्रार्थी से दिनांक 02.01.2024 को निवेदन किया तो अप्रार्थी ने उक्त दुरस्ती करने से इंकार कर दिया और इस संबंध में श्रीमान के यहां चाराजोही करने हेतु कहा, इसलिये प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी के खाता संख्या नया 02 के खसरा नम्बर 1408, 1409, 1410, 1411, 874, 905 कुल किता 6 कुल रकबा 2.70 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ में प्रार्थी के नाम के पीछे अंकित ब्राहम्ण का पुरा हजफ किया जावे तथा खाता संख्या 04 की आराजीयात खसरा न0 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1399, 1490 कुल किता 11 कुल रकबा 8.14 है0 स्थित ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ तथा खाता संख्या 05 की आराजी खसरा न0 1487, 1488, 1489 कुल किता 3 कुल रकबा 3.16 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ में प्रार्थी व उसके पिता के नाम के पीछे प्रसाद शब्द अंकित किया जाकर उक्त राजस्व रिकॉर्ड को दुरस्त कराने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलवी कराई गई। अप्राथी पैरोकार सरकार द्वारा जबाव पेश किया गया। तहसीलदार सूरौठ द्वारा अपने जबाव में वादपत्र के मद नं0 1 ता 5 स्वीकार किया है, एवं मद नं0 6 ता 8 कानूनी है। मद नं0 9 के मुताबिक ग्राम धंधावली के आराजी खसरा नं0 1408 लगायत 1411, 874, 905, 1380 लगायत 1388, 1399, 1490, 1487 लगायत 1489 में अतरूप पुत्र द्वारका प्रसाद जाति ब्राह्मण साकिन सोनपाल का पुरा खातेदार किया जाना उचित है। की पैरोकार सरकार द्वारा अभिशंषा की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.07 17:51:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। [illegible] वकील द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया गया एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया।

उभयपक्ष वकील की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पैरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ की अभिशंषा, प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जमावंदी सम्वत 2071–74 खाता संख्या 2, जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 4, जमाबन्दी संवत् 2071–74 खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (करौली)

5, जमाबन्दी संवत् 2071—74 खाता संख्या 3, अंकतालिका हाईस्कूल परीक्षा, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक, की प्रति, पेनकार्ड की प्रति पेश की हैं जिसमें राजस्व रिकॉर्ड में अतरूप प्रसाद पुत्र द्वारका प्रसाद जाति ब्राह्मण साकिन सोनपाल का पुरा करने की अभिशंषा की है, जिनका अवलोकन करने पर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जमावंदी सम्वत 2071—74 खाता संख्या 2, जमाबन्दी संवत 2071—74 खाता संख्या 4, जमाबन्दी संवत् 2071—74 खाता संख्या 5, जमाबन्दी संवत् 2071—74 खाता संख्या 3, में प्राथी का नाम अतरूप प्रसाद पुत्र द्वारका प्रसाद जाति ब्राह्मण साकिन सोनपाल का पुरा जिसे प्रार्थीगण के हक में दुरूस्त किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा जमावंदी सम्वत 2071—74 खाता संख्या 2, जमाबन्दी संवत 2071—74 खाता संख्या 4, जमाबन्दी संवत् 2071—74 खाता संख्या 5, जमाबन्दी संवत् 2071—74 खाता संख्या 3, में प्राथी का स्वयं का नाम अतरूप प्रसाद पुत्र द्वारका प्रसाद जाति ब्राह्मण साकिन सोनपाल का पुरा किया जाता है, साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में उक्त दुरूस्ती का अमल करने हेतु पृथक से तहसीलदार सूरौठ को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .... 02/07/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन
02/07/24

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.07 17:51:00 IST
Reason: SelfAttested